जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 / 2617 / 2022 दिनांक 20 अक्टूबर, 2022

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–2 के पत्र संख्या–646 / सत्तर–2–2022–16(11) / 2017 टी0सी0, दिनांकः 14 जुलाई, 2022 द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिये नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों / संस्थानों में अतिरिक्त विषयों / पाठ्यक्रमों(बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के आनलाइन निस्तारण हेतु विस्तृत समय–सारणी निर्धारित की गयी है, जो एतद्द्वारा पार्श्व में संलग्न है।

अतः जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया परिक्षेत्र के महाविद्यालय अथवा अन्य तदनुक्रम में तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कर सकते हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(एस0एल0पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01.माननीय कुलपति जी।

02.क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।

03.प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

04.सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

पताः–शहीद स्मारक, निकट सुरहा ताल, जिला–बलिया, उ0प्र0 पिन कोडः–277001
Address:- Saheed Smarak, Near Surha Taal, Dist-Ballia, U.P. Pin Code-277001
Website:-www.jncu.ac.in E-mail :- jncuballia@gmail.com

उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–2 के पत्र संख्या–646/सत्तर–2–2022–16(11)/2017 टी0सी0, दिनांकः 14 जुलाई, 2022 के अनुक्रम में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोडकर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय–सारणी

क्र0	कार्यवाही	समय–सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यकमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	**दिनांक 01 सितंबर से 31 दिसंबर, 2022 तक।**
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	**दिनांक 15 सितंबर से 31 जनवरी, 2023 तक।** (1) अनापत्ति प्रस्ताव प्राप्त होने के तिथि से 07 दिन के अंदर संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को सत्यापन हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा। (2) तद्नोपरान्त जिलाधिकारी प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम् एक माह के अंदर सत्यापन रिपोर्ट संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाइन प्रेषित कर देगा।
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	**दिनांक 15 फरवरी, 2023 तक।**
4	निरीक्षण मण्डल का गठन	**दिनांक 28 फरवरी, 2023 तक।** (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 22 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) तद्नोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 28 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
5	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्यां का प्रस्तुत किया जाना।	**दिनांक 15 अप्रैल, 2023 तक।**
6	सदस्य-सचिव द्वारा आख्या को ऑनलाइन अपलोड किया जाना।	**दिनांक 18 अप्रैल, 2023 तक।**
7	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	**दिनांक 28 अप्रैल, 2023 तक।**
8	शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	**दिनांक 15 मई, 2023 तक।**

9	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 15 जून, 2023 तक।

अनापत्ति एवं सम्बद्धता के अनिस्तारित आवेदन पत्र दिनांक 16 जून को पोर्टल से स्वतः विलोपित कर दिये जायेगें तथा संस्था को अगले शैक्षिक सत्र हेतु नवीन आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

4– सामान्य निर्देश

(i) अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने के संबंध में निर्देश

- वर्तमान में लम्बित आवेदन पत्र (उक्त प्रस्तर में उल्लिखित) तथा 01 सितंबर, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक विश्वविद्यालय में अनापत्ति के ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्ताव सम्बद्धता हेतु आगामी शिक्षण सत्र 2023–24 हेतु विचारणीय होगें।
- जो शिक्षण संस्थान समस्त अर्हताएं पूर्ण करते है, वे अनापत्ति एवं सम्बद्धता की पूर्वानुमति हेतु एक साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, किन्तु ऐसे प्रस्तावों पर चरणबद्ध तरीके से ही कार्यवाही की जायेगी। अनापत्ति निर्गत होने के पूर्व इसे सम्बद्धता के प्रति प्रतिबद्धता/ आश्वासन नहीं माना जायेगा।

(ii) ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराये जाने के संबंध में निर्देश :–

- खतौनी का सत्यापन।
- संयुक्तता प्रमाण पत्र एवं नजरी का स्थलीय सत्यापन।
- सत्यापन उन बिन्दुओं तक होगा जो शासनादेश के अनुरूप हों अन्यथा यह माना जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित आपत्तियां लगाई जा रही हैं।

(iii) निरीक्षण मण्डल हेतु पैनल बनाने के मानक :–

- निरीक्षण मण्डल का पैनल विश्वविद्यालय तैयार करेंगे, जिसमें सक्षम स्तर के विषय विशेषज्ञ होंगे तथा एक सदस्य–सचिव का नामांकन भी किया जायेगा, जिसका दायित्व निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
- निरीक्षण की तिथि हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दो विकल्प दिये जाएंगे, जिसपर पैनल सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उक्त दोनों तिथियां पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी। संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव का यह दायित्व होगा कि उक्त निर्धारित तिथि पर पैनल सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो। निर्धारित तिथि पर निरीक्षण न होने की स्थिति में आवेदन पत्र पर नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।
- पैनल में जो सदस्य निरीक्षण हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित न हों अथवा जिनकी सत्यनिष्ठा की शिकायत हो, उनके विरूद्ध मन्तव्य स्थापित करने हेतु उचित कार्यवाही की जाये।
- पैनल सदस्यों के कार्य आचरण का वर्षानुवर्ष रिकार्ड रखा जाये।

(iv) निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु मानदण्ड :–

- प्रस्ताव एवं अभिलेख की प्राप्ति चेक लिस्ट के अनुसार हो तथा प्राप्त कर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किया जाये।
- निरीक्षण आख्या पूर्ण एवं सुस्पष्ट हो। शासनादेश में जिन बिन्दुओं की पुष्टि की अपेक्षा है, उसके अनुरूप निरीक्षण आख्या हो, यह सुनिश्चित करने का दायित्व सदस्य सचिव का होगा।
- समिति का कोई सदस्य असहयोग करता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- सदस्य–सचिव का यह दायित्व होगा कि निरीक्षण मण्डल की आख्या को उपरोक्त निर्धारित समय–सारिणी के अंतर्गत अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- कुलसचिव का यह दायित्व होगां कि उपरोक्त निर्धारित समय–सारिणी के अंतर्गत समस्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से कराना सुनिशिचित करें।

कृपया उक्त समय–सारणी एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

<u>**संलग्नक–उपरोक्तानुसार।**</u>

भवदीया,

13/7

(मोनिका एस0 गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या–६५६(1)/सत्तर–2–2022 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।